

FORM NO.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)  
उदय माल बनाम मोहन माल  
मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 268/2025

रोख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

6.6.25

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती उदय माल

पिता श्री किशन माल सालवी

निवासी- पारनिमा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम पारनिमा

प.र. शम्भुपुरा स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 24 (खाता 20)

15, 205 (खाता 45) 989/17 (खाता 239)  
0.52, 0.31 0.2

कुल कीता 0.3 कुल रकबा 1.53 है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम पारनिमा (शम्भुपुरा) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 24, 15, 205, 989/17  
0.5, 0.52, 0.31, 0.2

कुल कीता 0.4 रकबा 1.53 है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1000 रुपये अक्षरे प.र. शम्भुपुरा प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(सहकारक)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)